

प्रेषक,  
लीना जौहरी,  
सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
अल्पसंख्यक कल्याण,  
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3,

लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 2012

**विषय:-**अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत अधिकतम रू0 36,000/- वार्षिक आय वाले अभिभावकों की कक्षा-10 पास पुत्री को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु रू0 30,000/- का अनुदान प्रदान किये जाने की योजना के नामकरण के संबंध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत अधिकतम रू0 36,000/- वार्षिक आय वाले अभिभावकों की कक्षा-10 पास पुत्री को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु रू0 30,000/- का अनुदान प्रदान किये जाने की योजना संचालित की जा रही है, जिसके संबंध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1326 / 52-3-2012-सा(02) / 12 दिनांक 14 अगस्त, 2012 तथा संख्या-1340 / 52-3-2012-सा(02) / 12 दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 के क्रम में अवगत कराना है कि शासन द्वारा उक्त योजना को "हमारी बेटी, उसका कल" नाम दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत योजना के संबंध में शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार सभी संबंधित को अपने स्तर से सूचित करते हुये एतद्विषयक सूचना विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।

भवदीया,  
17/10/12  
(लीना जौहरी)  
सचिव

शासनादेश संख्या-3562/52-3-2012-सा(2)/2012टी0सी0, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 का संलग्नकः अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत अधिकतम रू0 36,000/- वार्षिक आय वाले अभिभावकों की कक्षा-10 पास पुत्री को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु रू0 30,000/- का अनुदान प्रदान किये जाने हेतु आवेदन पत्र।

1. आवेदक का नाम .....
2. आवेदक के पिता का नाम .....
3. स्थाई निवास का पता.....  
(निवास का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)
4. पत्र व्यवहार का पता.....
5. आवेदक का मोबाइल नम्बर(यदि हो)
6. धर्म/जाति.....  
.....
7. कक्षा-10 पास पुत्री का नाम व उसके पिता का नाम.....
8. कक्षा-10 पास उत्तीर्ण करने की संस्था का नाम (जनपद सहित).....  
(कक्षा-10 उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)  
.....
9. कक्षा-10 उत्तीर्ण करने का वर्ष.....
10. संस्था/विद्यालय का नाम जहाँ छात्रा कक्षा-11में अध्ययनरत है .....
11. माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय (समस्त स्रोतों से).....  
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. कक्षा-10 पास पुत्री जिसके लिये आर्थिक सहायता की मांग की जा रही है, का राष्ट्रीय कृत बैंक में संचालित खाते का विवरण:-  
क-बैंक का नाम.....  
ख-शाखा का नाम.....  
ग-बैंक के खाते की संख्या-.....
13. आर्थिक सहायता का उपयोग शिक्षा हेतु किया जाना है अथवा विवाह हेतु.....  
(विवाह हेतु 18 वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य है)

छात्रा का पास पार्ट  
साईज फोटोग्राफ्स  
जो छात्रा द्वारा  
प्रमाणित हो

आवेदक के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा  
निवास का पता

**छात्रा/माता/पिता/अभिभावक की घोषणा**

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर दी गयी जानकारी सत्य है। यदि इसमें कोई त्रुटि पायी जाती है, तो आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाय। इसके लिए मुझे कोई आपत्ति न होगी।

(माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान)

**प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या का सत्यापन**

प्रमाणित किया जाता है कि कु0/श्रीमती..... वर्ष में इस संस्था में कक्षा-11 में अध्ययनरत है। आवेदन पत्र परीक्षणोपरान्त अग्रसारित है।

ह0 प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या  
संस्था का नाम  
मोहर